

भाग—IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	खण्डवा जिले के अंतर्गत वन मंडल खण्डवा के कोदवार 33 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन एवं पम्प हाऊस 1 एवं पम्प हाऊस 2 के निर्माण हेतु 5.700 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।  (सुनील अग्रवाल) भा.व.से. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
----	---	----	---

तिथि: 09/09/2021

स्थान: भोपाल